न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 90/2014 **दायरा दिनांक : 06.06.2014**

उनवान

तोलाराम आत्मज श्री शंकरलाल जी, जाति बैरवा, निवासी शाहबाद दरवाजा बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गायत्री बाई पत्नी श्री राजू जी, जाति जाटव, निवासी शाहबाद दरवाजा हाल निवासी श्री जी के मन्दिर के पास, श्री जी चौक बारां, तहसील बारां जिला बारां

2– मांगी लाल आत्मज श्री लक्ष्मण जी, जाति जाटव, निवासी शाहबाद दरवाजा बारां, तहसील बारां जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.04.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 177/2016 निर्णय दिनांक 22.05.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है । यह कि ग्राम बारां, तहसील बारां जिला बारां की खसरा नम्बर 1648 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1651 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1653 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1668 रकबा 0.22 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.66 हेक्टर भूमि प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 मांगीलाल आत्मज लक्ष्मण जी, जाति जाटव के खाते में दर्ज थी । प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने उपरोक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 15.12.2003 को विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान कर कब्जा संभला दिया था तथा प्रमाण में वादी अपीलांट के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 15.12.2003 को गवाहान की उपस्थिति में स्वयं के हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया था तथा गवाहान ने भी उक्त इकरारनामा बेचान पर बतौर साक्षी अपने हस्ताक्षर कर दिये थे । वक्त खरीद से ही वादी अपीलांट उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है । प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है । रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने अन्य कार्यवाही में वादी अपीलांट को उपरोक्त आराजी बेचान किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार एवं कब्जा नहीं है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उपरोक्त आराजी अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभला दिया था । अतः रेस्पोडेंट नम्बर 2 को वादग्रस्त आराजी को पुनः हस्तान्तरित करने काक कोई अधिकार नहीं है तथा कथित बेचान रेस्पोडेंट नम्बर 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं तथा कथित बेचान अवैध एवं

प्रभावशून्य है तथा वादी अपीलांट के हितों के विरूद्ध बेअसर है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलांट के पक्ष में प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाना चाहिए था । रिपोर्ट तहसील दिनांक 28.04.2014 से भी वादी अपीलांट के उपरोक्त आराजी पर कब्जे के तथ्य की पुष्टि होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को कन्सीडर एवं एप्रिशियेट किये बिना ही हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होनामानकर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीयक्षति का बिन्दु वादी अपीलांट के विरूद्ध फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को उपरोक्त आराजियात का खातेदार टीनेन्ट होना मानकर खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया बहस किया। बहस विद्धान अभिभाषक सुनी गई एवं मनन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपंजीकृत एग्रीमेंट से विवादित आराजी 0.66 हैक्टर पर कब्जा काश्त करना बताया। अपंजीकृत दस्तावेज की कोई विधिक मान्यता नहीं है, जबकि रेस्पोडेंट जमाबंदी में खातेदार दर्ज है।

अतः अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में वाद इसी अपंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर लाया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा